

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-95/2020-21

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

झालोमती देवी बनाम मंगली देवी

11.02.21

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

झालोमती देवी पति-स्व० राजन महतो,
ग्राम-डोकाद, पो०-राहे, प्रखण्ड-राहे,
थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी,
पेशा-गृहीणी।

क्रेता का नाम एवं पता -

मंगली देवी पति-जलेश्वर महतो, ग्राम-डोकाद,
पो०-राहे, प्रखण्ड-राहे, थाना-सोनाहातु,
जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-गृहीणी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री संजय कुमार पाण्डेय।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-31/10/2020 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता मंगली देवी पति-जलेश्वर महतो, ग्राम-डोकाद, पो०-राहे, प्रखण्ड-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-गृहीणी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
डोकाद	सोनाहातु/78	118	148	19 डी० चौहददी:- उ०-मंजीत महतो वगैरह। द०-शिवेश्वर महतो। पू०-पशुपति महतो। प०-शिश्वर महतो।
			848	16 डी० चौहददी:- उ०-हाराधन महतो। द०-कनक महतो।

			<p>पू०—शिवेश्वर महतो । प०—सत्यनारायण महतो । <u>21 डी०</u> <u>चौहददी:-</u> उ०—पौरव महतो । द०—हाराधन महतो । पू०—अजीत महतो । प०—सुरेन्द्र महतो ।</p>
		941	<p><u>01 डी०</u></p>
		942	<p><u>04 डी०</u> <u>चौहददी:-</u> उ०—सत्यनारायण महतो । द०—निरंजन महतो । पू०—धनंजय महतो । प०—पिरीत महतो ।</p>
		1612	<p><u>17 डी०</u> <u>चौहददी:-</u> उ०—हरिहर महतो । द०—पशुपति महतो । पू०—राधा महतो । प०—भगीरथ महतो ।</p>

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक-50(ii) दिनांक-28/01/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत मदन महतो वगैरह के नाम से दर्ज है।
- (2) विक्रेता पंजी-II रैयत के पत्नी लगती है।

- (3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम करम महतो वगैरह है।
- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2019-20 तक वसूली गयी है।
- (5) खतियानी भूमि के आधार जमाबंदी कायम है।
- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी किस्म की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा-5.13 एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को बिमारी के इलाज हेतु बिक्री कर रही है।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुर्मी जाति के सदस्य है।
- (10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही ग्राम एवं एक ही पुलिस थाना के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता झालोमती देवी पति-स्व० राजन महतो, ग्राम-डोकाद, पो०-राहे, प्रखण्ड-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-गृहीणी, को क्रेता मंगली देवी पति-जलेश्वर महतो, ग्राम-डोकाद, पो०-राहे, प्रखण्ड-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-गृहीणी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।


न्यायालय के द्वारा दिनांक-31/10/2020 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में उपरोक्त वर्णित भूमि की विक्रेता झालोमती देवी पति-स्व० राजन महतो, ग्राम-डोकाद, पो०-राहे, प्रखण्ड-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-गृहीणी, को क्रेता मंगली देवी पति-जलेश्वर महतो, ग्राम-डोकाद, पो०-राहे, प्रखण्ड-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-गृहीणी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता।


बुण्डू।

भूमि सुधार उप समाहर्ता।


बुण्डू।